दिनांक–04.05.2024

वाद पुकारा। पत्रावली पेश। राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी सुश्री शिवांजलि शर्मा उपस्थित। अभियुक्त प्रीतम उपस्थित। अभियुक्त रोहताश की हाजरी माफी द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रम भट्ट पेश। स्वीकृत।

अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उपरोक्त पत्रावली में आज साक्ष्य हेतु तिथि नियत है। गवाह का0 विनोद कुमार न्यायालय में उपस्थित है, जो फर्द बरामदगी के गवाह है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि विवेचक द्वारा बरामदगी का नक्शा नजरी का0 संजय सिंह की निशानदेही पर बनाया गया है तथा न्यायालय में उपस्थित गवाह उपरोक्त के विवेचक द्वारा दौराने विवेचना 161 सी0आर0पी0सी0 के बयान अंकित नहीं किये गये है। जिस कारण उक्त गवाह को न्यायाहित में उन्मोचित किया जाना आवश्यक है तथा फर्द गवाह संजय सिंह को न्यायहित में परीक्षित कराया जाना आवश्यक है। अतः उक्त सम्बन्ध में उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अभियुक्त की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत मामले में पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। अभियोजन की ओर से गवाह का0 विनोद कुमार के प्रस्तुत मामले के सम्बन्ध में धारा–161 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता के बयान विवेचक द्वारा नहीं लिये जाने का उल्लेख प्रार्थना पत्र पर किया गया है। विवेचक द्वारा बरामदगी का नक्शा नजरी का0 संजय सिंह की निशानदेही पर बनाया गया है। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। अभियोजन का अधिकार है कि वह किस साक्षी को मामले के

न्यायसंगत निर्णय हेतु परीक्षित कराना चाहता है। जिस कारण गवाह कानि0 विनोद कुमार को प्रस्तुत मामले में बतौर गवाह उन्मोचित किया जाना एवं कानि0 संजय सिंह को साक्ष्य हेतु न्यायालय तलब किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। तद्नुसार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साक्षी कानि0 विनोद कुमार को प्रस्तुत मामले में साक्ष्य हेतु उन्मोचित किया जाता है तथा साक्षी कानि0 संजय सिंह को साक्ष्य हेतु समन जारी हो। साक्षी तलब हो। कानि0 विनोद कुमार द्वारा धारा–350 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता का नोटिस निरस्त कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश। न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली दिनांक 29.05.2024 को वास्ते साक्ष्य पेश हो।

(सिद्धार्थ कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामनगर, जिला–नैनीताल।